डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास ***श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस.***

अनवान

वादी – **1.लिखमाराम पुत्र ओपाराम, जाति जाट**
निवासी निम्बली (गोलियार), तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण – **1.ओपाराम पुत्र पदमाराम 2.भोमाराम 3.भूराराम पि.ओपाराम**
4.अनाराम पुत्र हुकमाराम 5.रूपाराम 6.केशराराम 7.दुर्गाराम
8.पुरखाराम 9.टीकमाराम पि.वगताराम, जाति जाट
निवासी निम्बली (गोलियार), तहसील चौहटन

अधिवक्तागण – वादी वकील – **श्री प्रवीण चौधरी**
प्रतिवादीगण वकील – **श्री अनिल गोदारा (प्रतिवादी सं. 1 से 3)**

वाद बाबत 88,188 RT Act.

मुकदमा नं. 63/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री प्रवीण चौधरी** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री अनिल गोदारा** एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर **मौजा निम्बली (सणाऊ), तहसील चौहटन में खसरा सं. 02 रकबा 00.12 बीघा, खसरा सं. 03 रकबा 00.04 बीघा, खसरा सं. 194/4 रकबा 395.11 बीघा, कुल रकबा 396.07 बीघा एवं मौजा शिवपुरा (सणाऊ) में खसरा सं. 137 रकबा 103.03 बीघा, खसरा सं. 138 रकबा 42.02 बीघा, कुल रकबा 145.05 बीघा के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि में प्रतिवादी सं 1 के 1/3 हिस्सा में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।** लगातार शेष पृष्ट पर.......................... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11.02.2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत............................

ओहदा सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:07:58 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपया	पै.	[illegible]	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			[illegible]नामा स्टाम्प व[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]नामा मुतफरिक मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 63/2018

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथ राम ।।, आर.ए.एस

अनवान

वादी – 1.लिखमाराम पुत्र ओपाराम, जाति जाट
निवासी निम्बली (गोलियार), तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण – **1.ओपाराम पुत्र पदमाराम 2.भोमाराम 3.भूराराम पि.ओपाराम
4.अनाराम पुत्र हुकमाराम 5.रूपाराम 6.केशराराम 7.दुर्गाराम
8.पुरखाराम 9.टीकमाराम पि.वगताराम, जाति जाट**
निवासी निम्बली (गोलियार), तहसील चौहटन

अधिवक्तागण – वादी वकील – **श्री प्रवीण चौधरी**
प्रतिवादीगण वकील – **श्री अनिल गोदारा (प्रतिवादी सं. 1 से 3)**

सहायक कलक्टर चौहटन

अन्तर्गत धारा 88,188 RT Act.

निर्णय

दिनांक :– 11.02.2022

वादी के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त हिन्दु परिवार है तथा स्व.पदमाराम के वंशज है। पक्षकारान की पैतृक सहदायिकी कृषि भूमि मौजा निम्बली (सणाऊ), तहसील चौहटन में खसरा सं. 02 रकबा 00.12 बीघा, खसरा सं. 03 रकबा 00.04 बीघा, खसरा सं. 194/4 रकबा 395.11 बीघा, कुल रकबा 396.07 बीघा एवं मौजा शिवपुरा (सणाऊ) में खसरा सं. 137 रकबा 103.03 बीघा, खसरा सं. 138 रकबा 42.02 बीघा, कुल रकबा 145.05 बीघा की आई हुई है।

वक्त जागीर इस आराजी पर वादी के दादा, प्रतिवादी सं.1 के पिता स्व.पदमाराम काबिज थे। वक्त बन्दोबस्त यह आराजी खातेदारी रेकर्ड में स्व.पदमाराम के नाम दर्ज हुई। पदमाराम के देहान्त होने पर खातेदारी रेकर्ड में वादी के [illegible] वादी सं. 1 ओपाराम, प्रतिवादी सं. 4 अनाराम, प्रतिवादी सं. 5 से 9 के [illegible] के आधार पर दर्ज हुई। वादी भूप्रबन्ध के खातेदार स्व.पद[illegible] विधि से शासित होने के कारण वादी का अपने पिता के बराबर अधिकार वादी के जन्म के साथ ही पैदा चुका है। हिन्दु उतराधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:07:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

विधि की धारा 6 के अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 अपने पिता प्रतिवादी सं.1 के साथ बराबर हिस्से के इस आराजी में सहदायिक है।

वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 3 प्रत्येक का इस वादग्रस्त आराजी में खातेदारी 1/12–1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं.4 का 1/3 व प्रतिवादी सं. 5 से 9 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है। आराजी में पक्षकारान सामलाती रूप से काश्त करते है तथा इसी खेत में बनी ढाणी में पक्षकार संयुक्त रूप से आवास किये हुए है।

वादी अपने हिस्से की सीमा तक अपने नाम का किसान क्रेडिट कार्ड बनाना चाहता है। इस हेतु जब हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि इस हेतु वादग्रस्त आराजी में वादी के नाम का अंकन होना आवश्यक है। जिस पर वादी ने अपने पिता प्रतिवादी सं. 1 से सम्पर्क कर वादी के नाम का सहखातेदारी अंकन अपने साथ कराने को कहा था लेकिन प्रतिवादी सं. 1 द्वारा नहीं कराने पर वाद का कारण बमुकाम निम्बली व शिवपुरा, तहसील चौहटन में पैदा हुआ ।

इसलिए दावा मय शपथ पत्र पेश निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 निम्नानुसार सादर फरमाई जावे कि :–

मौजा निम्बली (सणाऊ), तहसील चौहटन में खसरा सं. 02 रकबा 00.12 बीघा, खसरा सं. 03 रकबा 00.04 बीघा, खसरा सं. 194/4 रकबा 395.11 बीघा, कुल रकबा 396.07 बीघा एवं मौजा शिवपुरा (सणाऊ) में खसरा सं. 137 रकबा 103.03 बीघा, खसरा सं. 138 रकबा 42.02 बीघा, कुल रकबा 145.05 बीघा भूमि में वादी को प्रतिवादी सं. 1 से 3 के साथ बहिस्सा खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकर्ड में इस आराजी में वादी तथा प्रतिवादी सं.1 से 3 प्रत्येक का खातेदारी 1/12–1/12 हिस्सा अंकित किया जावे। इस हेतु वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

सहायक कलक्टर चौहटन

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल गोदारा ने वकालतनाम मय वादपत्र का इकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी को उपरोक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 से 3 के साथ बहिस्सा बराबर खोतदार घोषित करते हुए वादी का 1/12 हिस्सा के साथ में प्रतिवादी सं. 1 से 3 का भी 1/12–1/12 हिस्सा घोषित किया जावे। शेष प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया अतः शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:07:58 IST
Reason: SelfAttested

वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 लिखमाराम पुत्र ओपाराम, पीडब्ल्यू 2 जुंझाराम पुत्र हराजी के शपथ पत्र पेश कर लिखित दस्तावेजी साक्ष्य ईएक्सपी 1 मौजूदा

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

चौसाला खतौनी नकले , ईएक्सपी 2 जमाबन्दी मौजा शिवपुरा तथा ईएक्सपी 3 जमाबन्दी मौजा निम्बली न्यायालय में Exibit करवाये।

वादी वकील और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है, अतः वादी साक्ष्य बन्द की गई। प्रतिवादी सं. 1 से 3 के वकील वादी साक्ष्य से जिरह नहीं चाहते और न ही कोई प्रतिवादी साक्ष्य पेश करना चाहते है। अतः प्रतिवादी सं. 1 से 3 के वकील का जिरह व प्रतिवादी साक्ष्य का अवसर बन्द किया गया।

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील की ओर से ब्रिफ होल्डर अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं. 1 से 3 के वकील अनुपस्थित । वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में वादी को प्रतिवादी सं. 1 से 3 के साथ बहिस्सा खातेदार घोषित करते हुए वादी को 1/12 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा खातेदारी में अंकन करवाने का निवेदन किया ।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । बहस पर मनन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि वादी का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायाहित में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर **मौजा निम्बली (सणाऊ), तहसील चौहटन में खसरा सं. 02 रकबा 00.12 बीघा, खसरा सं. 03 रकबा 00.04 बीघा, खसरा सं. 194/4 रकबा 395.11 बीघा, कुल रकबा 396.07 बीघा एवं मौजा शिवपुरा (सणाऊ) में खसरा सं. 137 रकबा 103.03 बीघा, खसरा सं. 138 रकबा 42.02 बीघा, कुल रकबा 145.05 बीघा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के 1/3 हिस्सा में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।**

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर चौहटन

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:07:58 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम ।।)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
चौहटन